न्यायालय जिला कलक्टर एवं मजिस्ट्रेट, श्रीगंगानगर

विविध बैंक प्रकरण संख्या 129/2025(GCMS : 2025/138)

ईक्विटास स्मॉल फाईनेंस बैंक लिमिटेड, कार्यालय होटल एप्पल ईन के सामने, निर्माण नगर, अजमेर रोड़, डीसीएम, जयपुर–302019, राजस्थान तथा 4[जी] फ्लोर, फेज–।।, स्पेन्सर प्लाजा नं. 769, माउण्ट रोड़, अन्ना सलाई, चेन्नई –600002 तमिलनाडू

बनाम

1. **महावीर** पुत्र श्री ओम प्रकाश, उम्र लगभग 40 वर्ष, जाति मेघवाल, पता वार्ड संख्या 09, लाधूवाला चक गणेशगढ़, दुर्गासिंहपुरा, श्रीगंगानगर–335025 राजस्थान मोबाईल नम्बर 96023–89752
2. **सुमित्रा** पत्नी श्री महावीर प्रसाद उम्र 34 वर्ष जाति मेघवाल, पता वार्ड संख्या 09, लाधूवाला चक गणेशगढ़, दुर्गासिंहपुरा, श्रीगंगानगर–335025 राजस्थान मोबाईल नम्बर 96023–89752

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

21.05.2025

पत्रावली पेश हुई। प्रार्थी बैंक/कम्पनी ने जरिये अधिवक्ता श्री महादेव प्रसाद मिढा ने एक प्रार्थना पत्र वित्तिय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुर्नगठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 की धारा 14 के अन्तर्गत प्रस्तुत किया है कि प्रार्थी बैंक/कम्पनी द्वारा अप्रार्थीगण महावीर एवं सुमित्रा को ऋण सुविधा के रूप में 3.50/–लाख रूपये ऋण राशि की स्वीकृति दिनांक 12.07.2021 को प्रदान की थी। अप्रार्थीगण के खाते में दिनांक 27.11.2024 को 2,38,614/– रूपये की राशि बकाया थी। ऋण की सुरक्षा की एवज में **अप्रार्थी महावीर द्वारा बंधक रखी अपनी अचल सम्पत्ति पट्टा संख्या 06, बुक संख्या 135, संकल्प संख्या 03,मिसल संख्या 96/06.01.17, ग्राम लाधूवाला, ग्राम पंचायत लाधूवाला, पंचायत समिति सादुलशहर, जिला श्रीगंगानगर राजस्थान पर स्थित है जिसका क्षेत्रफल 925 वर्गफुट है, जिसके पूर्व में भगवानाराम का मकान है, पश्चिम में गली है, उत्तर में राजेन्द्र कुमार का मकान है व दक्षिण में महेन्द्र कुमार का मकान है,** का भौतिक कब्जा प्रार्थी बैंक को पुलिस की सहायता से दिलाया जाने की प्रार्थना की है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Manju
Date: 2025.07.23 15:54:53 IST
Reason: Self Attested

जिला मजिस्ट्रेट
श्रीगंगानगर

मैने, पत्रावली में उपलब्ध उनके प्रार्थना पत्र धारा 14, शपथ पत्र एवं अन्य उपलब्ध दस्तावेजात का भी अवलोकन किया तो पाया कि उक्त प्रार्थना पत्र के अनुसार प्रार्थी बैंक ने अप्रार्थीगण महावीर एवं सुमित्रा को ऋण सुविधा के रूप में 3.50/—लाख रूपये (अखरे रूपये तीन लाख पचास लाख रूपये मात्र) की स्वीकृति दिनांक 12.07.2021 को प्रदान की थी और ऋण की सुरक्षा की एवज में अप्रार्थी महावीर ने अपनी अचल सम्पत्ति पट्टा संख्या 06, बुक संख्या 135, संकल्प संख्या 03,मिसल संख्या 96/06.01.17, ग्राम लाधूवाला, ग्राम पंचायत लाधूवाला, पंचायत समिति सादुलशहर, जिला श्रीगंगानगर राजस्थान पर स्थित है जिसका क्षेत्रफल 925 वर्गफुट है, जिसके पूर्व में भगवानाराम का मकान है, पश्चिम में गली है, उत्तर में राजेन्द्र कुमार का मकान है व दक्षिण में महेन्द्र कुमार का मकान है, प्रार्थी बैंक के पास रहन रखी। प्रार्थी बैंक के प्रार्थना धारा 14 एवं उसके समर्थन में प्रस्तुत दस्तावेजात एवं शपथ पत्र के अनुसार अप्रार्थी ऋणी का खाता दिनांक 08.11.2024 को अनर्जक परिसम्पत्ति (एन.पी.ए.) हो गया। बैंक द्वारा अप्रार्थी ऋणियों को धारा 13(2) के नोटिस रजिस्टर्ड डाक से भिजवाये गये थे, रजिस्टर्ड डाक से धारा 13(2) के नोटिस भिजवाने की रसीद एवं प्राप्ति के ऑनलाईन ट्रैक पत्रावली में उपलब्ध है।

वित्तिय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुर्नगठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 की धारा 14 के अन्तर्गत प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पर कार्रवाई करने के लिए विवादग्रस्त सम्पत्ति जिसका भौतिक कब्जा चाहा जा रहा है वह सम्बन्धित जिला मजिस्ट्रेट के क्षेत्राधिकार में होना आवश्यक है और दूसरा सम्बन्धित ऋणियों पर धारा 13(2) के नोटिस की तामील ऋणियों/जमानतदारों पर विधिवत् रूप से होनी आवश्यक है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Manju
Date: 2025.07.23 15:54:53 IST
Reason: SelfAttested

जिला मजिस्ट्रेट
श्रीगंगानगर

जहां तक ऋण की एवज में अप्रार्थी महावीर की अचल सम्पत्ति पट्टा संख्या 06, बुक संख्या 135, संकल्प संख्या 03,मिसल संख्या 96 / 06.01.17, ग्राम लाधूवाला, ग्राम पंचायत लाधूवाला, पंचायत समिति सादुलशहर, जिला श्रीगंगानगर राजस्थान पर स्थित है जिसका क्षेत्रफल 925 वर्गफुट है, जिसके पूर्व में भगवानाराम का मकान है, पश्चिम में गली है, उत्तर में राजेन्द्र कुमार का मकान है व दक्षिण में महेन्द्र कुमार का मकान है, जो प्रार्थी बैंक के पास बंधक रखी हुई है, का संबध है, वह निम्न हस्ताक्षरकर्ता के क्षेत्राधिकार जिला श्रीगंगानगर में स्थित है। इसलिए वित्तिय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुर्नगठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 की धारा 14 के तहत निम्न हस्ताक्षरकर्त्ता कार्रवाई करने के लिए सक्षम है।

जहां तक अप्रार्थी ऋणी पर धारा 13(2) के जारी नोटिस 07.12.2024 की तामील का प्रश्न है। प्रार्थना पत्र के अनुसार दिनांक 07.12.2024 को 60 दिवस में राशि जमा करवाने का धारा 13(2) के नोटिस, अप्रार्थीगण को रजिस्टर्ड डाक से दिनांक 07.12.2024 को ही भिजवाये गये थे, जिसकी रसीद पत्रावली में उपलब्ध है। धारा 13(2) के नोटिस प्राप्ति के ऑनलाईन ट्रैक भी पत्रावली में उपलब्ध है, जिसके अनुसार अप्रार्थीगण को 13(2) के नोटिस प्राप्त हो गये है। जिसके अनुसार अप्रार्थीगण को धारा 13(2) के नोटिस की तामील होना माना जाना उचित है। इसके बावजूद भी अप्रार्थीगण ने बैंक की समस्त बकाया ऋण राशि जमा नही करवाई है और न ही शपथ पत्र के अनुसार नोटिस पर कोई आपत्ति या अभ्यावेदन प्रस्तुत किया है। इसलिए ऋण की सुरक्षा की एवज में ऋणी महावीर द्वारा प्रार्थी बैंक के पास बंधक रखी गई संपत्तियों का भौतिक कब्जा प्रार्थी बैंक को दिलाया जाना उचित होगा।

Signature Not Verified
Digitally signed by Manju
Date: 2025.07.23 15:54:53 IST
Reason: SelfAttested

जिला मजिस्ट्रेट
श्रीगंगानगर

अतः उक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी इक्विटास स्मॉल फाईनेन्स बैंक लिमिटेड का उक्त प्रार्थना पत्र वित्तिय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुर्नगठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 अन्तर्गत धारा 14 **स्वीकार किया जाता है** और अप्रार्थी **ऋणी महावीर द्वारा प्रार्थी बैंक/कम्पनी से प्राप्त ऋण की सुरक्षा की एवज में बंधक रखी गई अचल सम्पत्ति पट्टा संख्या 06, बुक संख्या 135, संकल्प संख्या 03,मिसल संख्या 96/06.01.17, ग्राम लाधूवाला, ग्राम पंचायत लाधूवाला, पंचायत समिति सादुलशहर, जिला श्रीगंगानगर राजस्थान पर स्थित है जिसका क्षेत्रफल 925 वर्गफुट है, जिसके पूर्व में भगवानाराम का मकान है, पश्चिम में गली है, उत्तर में राजेन्द्र कुमार का मकान है व दक्षिण में महेन्द्र कुमार का मकान है, का भौतिक कब्जा जरिये पुलिस की सहायता से प्रार्थी बैंक/कम्पनी को दिलाये जाने के आदेश दिये जाते है।** इस आदेश की प्रति जिला पुलिस अधीक्षक श्रीगंगानगर को इस आदेश के साथ अग्रेषित की जाती है कि प्रार्थी बैंक/कम्पनी को उक्त अचल सम्पति का भौतिक कब्जा दिलाने हेतु उनके चाहे अनुसार, नियमानुसार पुलिस सहायता उपलब्ध करवाई जावें। सहायता उपलब्ध करवाने से पूर्व यह सुनिश्चित कर लिया जावे कि उक्त बंधक रखी गई सम्पत्ति किसी भी न्यायालय में विवादित अथवा स्थगन से प्रभावित तो नहीं है। आदेश की प्रति प्रार्थी बैंक व जिला पुलिस अधीक्षक श्रीगंगानगर को पालनार्थ भिजवाई जावे। पत्रावली बाद तरतीब तकमील दाखिल दफ्तर हो।

Signature Not Verified
Digitally signed by Manju
Date: 2025.07.23 15:54:53 IST
Reason: SelfAttested

यह आदेश आज दिनांक 2[illegible].20[illegible] को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(डॉ. मन्जू)
जिला मजिस्ट्रेट
जिला मजिस्ट्रेट
श्रीगंगानगर